न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:– 47 / 2010
निर्णय दिनांक:– 27.12.2022
बइजलास:– रमेश चन्द्र माहेश्वरी (आर0ए0एस0)

1. श्रीमती लाली पत्नि स्व० श्री भूरा बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील फागी, उपतहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर, राज०
2. राधाकृष्ण पुत्र स्व0 श्री भूरा बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील फागी, उपतहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर, राज०
3. कान्हा राम पुत्र स्व0 श्री भूरा वलाई जाति वलाई निवासी ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण, तहसील फागी, उपतहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर, राज० हाल निवासी प्लाट नं 48, हनुमान बिहार, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर के सामने ब्राहम्ण की थड़ी के पास, जयपुर
4. गोपाल पुत्र स्व0 श्री भूरा बलाई जाति बलाई निवासी ग्राम गोकुलपुरा, पंचायत परवण तहसील फागी, उपतहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर, राज।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रंगलाल जाट पुत्र छीतर ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

1/1 सुवालाल पुत्र रंगलाल

1/2 रामदेव पुत्र रंगलाल

1/3 ज्याना देवी बेवा रंगलाल
समस्त जाति जाट निवासी किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

2. तहसीलदार, फागी, जिला जयपुर राज०

3. उपरजिस्ट्रार पंजीयक तहसील फागी, जिला जयपुर

4 सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री विनोद कुमार जैन वकील प्रार्थीगण
श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील अप्रार्थी सं0 1/1 लगा0 1/3

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 27.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नं 395/9 रकबा 7 बीघा का प्रार्थी संख्या 01 के स्व० ससुर व प्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 के दादा श्री नाथू बलाई पुत्र जीवन बलाई कथित आराजीयात का रिर्कोडेड खातेदार व काश्तकार था। नाथू बलाई उपरोक्त कथित आराजीयात खसरा नं 395/9 पर सन् 1973 से पूर्व में गैर खातेदारी में दर्ज था। सन् 1973 में उपरोक्त

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

कथित आराजीयातका अलाटमेन्ट नाथू बलाई पुत्र जीवन बलाई के नाम हो गया। जिस पर सरंपच ग्राम पंचायत परवण तहसील फागी जिला जयपुर के द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री नाथू पुत्र जीवन बलाई के नाम यह नामातंकरण खातेदारी में लगाने हेतु स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त कथित आराजीयातका नामातंकरण दिनांक 05.03.1973 को नाथू पुत्र जीवन बलाई के नाम खोल दिया गया और उसी नामातंकरण के मुताबिक जमाबंदी में नाथू पुत्र जीवन बलाई का नाम रिकोडेर्ड खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया । नाथू बलाई के एक लड़का भूरा राम था। नाथू बलाई का स्वर्गवास दिनांक 21.02.1994 को हो गया। इसके पश्चात् नाथू बलाई का लड़का भूरा उसका एकमात्र वारिसान था। भूरा बलाई क्षय रोग से पीड़ित था इस कारण भूरा का स्वर्गवास भी उसके पिता के स्वर्गवास के दो वर्ष पश्चात् ही दिनांक 29.09.1996 को हो गया। इस प्रकार भूरा राम के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी विधवा लाली प्रार्थी संख्या 01 व तीन पुत्र क्रमशः प्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 शेष रहे। उपरोक्त कथित आराजीयातका नामातकरण नाथू की मृत्यु के बाद उसके लड़के भूरा के नाम खुलना चाहिये था। लेकिन उपरोक्त कथित आराजीयातका नामांतकरण भूरा के नाम नहीं खुला। इस कारण भूरा उपरोक्त कथित आराजीयातका रिकोडेर्ड खातेदार नहीं बन सका एवं जब भूरा राम का स्वर्गवास उसके पिता के दो वर्ष पश्चात् हो चुका था तब भूरा के वारिसानों को कानूनन रूप से रिकोर्ड पर लिया जाना चाहिये था और जो कि आराजीयातनाथू के नाम रिकोडेर्ड खातेदारी में थी उसका नामातंकरण और रिकोडेर्ड खातेदारी भूरा के वारिसानों के नाम आ जानी चाहिये थी। अप्रार्थी संख्या 01 ने कानूनगों से मिलकर एवं पैसे के बल पर उपरोक्त कथित आराजीयातजो कि नाथू बलाई के नाम थी फर्जी दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा बनाकर एवं पेश कर उपरोक्त कथित आराजीयातका नामातंकरण अपने नाम खुलवा लिया जो कि कानूनन उचित नहीं है क्योंकि उपरोक्त कथित आराजीयातभूरा बलाई के नाम से रिकोडेर्ड खातेदारी में थी । इस कारण नाथू बलाई एक अनुसूचित जाति का सदस्य था जबकि अप्रार्थी संख्या 01 अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है। इसके बावजूद भी उपरोक्त कथित आराजीयातजो कि भूरा बलाई के नाम थी वो कानूनन रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के नाम किसी भी सूरत में नहीं वेस्टेड हो सकती थी लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर एवं पैसे के बल पर उपरोक्त कथित आराजीयातका नामातंकरण अपने स्वंय के नाम खुलवा लिया। जब अप्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त कथित आराजीयात का नामांतकरण एवं खातेदारी अपने नाम लगवाने वास्ते जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र संक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किया तब वादीगण को पता चला कि उपरोक्त आराजीयात का

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नामातंकरण पूर्व में ही अप्रार्थीगण संख्या 01 के नाम खोला जा चुका है। अप्रार्थीगण के द्वारा उपरोक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार के समक्ष एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के समक्ष पेश किया गया लेकिन इसके बावजूद भी प्राथीगणों को कहीं से भी न्याय नहीं मिल पाया। प्रार्थीगणों के द्वारा वर्ष 2007 में एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में पेश किया और उपरोक्त कथित त्रुटि को एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम लगी आराजीयात को प्रार्थीगण अपने स्वंय के नाम लगवाने हेतु एवं उपरोक्त कथित आराजीयात पर से अप्रार्थी संख्या 01 का अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया जाकर दिनांक 03 मार्च 2007 को मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार के विशेषाधिकारी श्री राजपाल सिंह यादव के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के नाम एक पत्र जारी किया गया । उपरोक्त कथित पत्र के बावजूद भी आज दिनांक तक उपरोक्त कथित आराजियाता का नामातंकरण और खातेदारी प्रार्थीगणों के नाम अंकित नहीं की गई है। जिस कारण प्रार्थीगणों के अधिकार एवं हितों की स्पष्ट रूप से अवहेलना हुई है। प्रार्थीगणों के द्वारा माह जनवरी 2008 में एक प्रार्थना पत्र राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रम एवं नियोजक विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किया। उपरोक्त कथित प्रार्थना पत्र पर राजस्थान सरकार कार्यालय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास के द्वारा दिनांक 23.01.2008 को जिला कलेक्टर जयपुर के नाम से एक पत्र जारी किया गया जिसमें कि अप्रार्थी संख्या 01 का उपरोक्त कथित आराजीयात से कब्जा हटवाने हेतु एवं उपरोक्त कथित आराजीयातका नामांतकरण एवं खातेदारी प्रार्थीगणों के नाम करने के निर्देश दिये गये। प्रार्थीगणों के द्वारा दिनांक 26.02.2008 को एक विस्तारित प्रार्थना पत्र श्रीमान शासन सचिव महोदय (राजस्व) राजस्थान सरकार के नाम से प्रस्तुत किया। जिस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगणों के द्वारा दिनांक 24.02.2009 को उपरोक्त कथित आराजीयात की जमाबंदी की सत्यप्रतिलिपी प्राप्त की। तब प्रार्थीगणों को पता चला कि अप्रार्थी संख्या 01 उपरोक्त कथित आराजीयात को सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर के समक्ष राहीन रख दिया है और अब उपरोक्त कथित आराजीयातको अप्रार्थी संख्या 01 हस्तान्तरित करना चाह रहा है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय अदालत हाजा के समक्ष लाजिम आया है। नाथू पुत्र जीवन बलाई की मृत्यु के बाद उसके आराजीयात मुतदादिया को अप्रार्थी संख्या रंगलाल पुत्र छीतर जाट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर और अपने नाम खातेदारी में लगवा ली जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उपरोक्त कथित आराजीयातकी खातेदारी प्रार्थीगणों के नाम खुलनी चाहिये थी। मृतक नाथू पुत्र जीवन बलाई की आराजीयात को प्रतिवादी सख्या 01 अपने स्वयं के नाम होने के कारण अब

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

अप्रार्थी संख्या 01 की नियत में बेईमानी आ गयी है एवं अन्य लोगों के बहकावे में आकर आराजीयात को खुर्द –बुर्द कर देना चाहता है एवं प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त की आराजीयातमें बेजा, मजामहत करना चाहता है। आराजीयत की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 अपने नाम लगवा लिया है। जिसके तहत अब अप्रार्थी उपरोक्त कथित आराजीयात को हस्तान्तरिक करना चाहता है । मुतादादिया में अपने हिस्सों की घोषणा एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से वकील श्री भैरूलाल शर्मा ने वकालतनामा व जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 395 रकबा 152 बीघा ग्राम गोकुल तहसील फागी जिला जयपुर पूर्व मे सिवायचक रही है। जो समय समय भूमिहीन व्यक्तियो के आवंटन/नियमन हुई है। उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 395/9 रकबा 07 बीघा पूर्व मे नाथू को आवंटन हुई । परन्तु उसका कब्जा नही होने एवं स्वंय नाथू द्वारा उक्त भूमि का इस्तीफा देने से नामान्तरण द्वारा उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई। उक्त भूमि मिन आप्रार्थीगण के बुजुर्गो का कदीमी कब्जा होने से नियमन होकर नामान्तरण संख्या 161 वर्ष 1978 से खातेदारी अधिकतर हुई है। जो आज तक निरन्तर मिन अप्रार्थीगण का बुजुर्गों से कब्जा काश्त से खातेदारी अधिकार चले आ रहे है। वर्तमान मे मिन उत्तरदाता रिकोर्डड खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रार्थीगण या अन्य का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने मात्र मिनउत्तरदाता गण को हैरान व परेशान के उद्देश्य से पेश किया है जो काबिले खारिज है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे वर्ष 1988 मे जब मिन अप्रार्थीगण के पिता रंगलाल पुत्र छीतर ने कुआ बनाया तो रामरतन पुत्र छीतर ने एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जो खारिज हो चुका है जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25/01/1988 मिन अप्रार्थीगण के पिता रंगलाल के पक्ष मे निर्णय किया है इस प्रकार उक्त विवादित भूमि पर मिन अप्रार्थीगण का शुरू से आज तक कब्जा रहा है तथा प्रार्थीगण का कभी भी कब्जा नही रहा है । अतः कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावें

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

लगातार.....5

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निस्तारण तक स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मुख्यतः तीन बिन्दु पर किया जाना होता है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूर्णीय क्षति

प्रथम दृष्टया केस::– मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2062 – 2065 वाके ग्राम गोकुलपुरा की खाता सं0 67 के ख0न0 395/9 रंगलाल पुत्र छीतर कौम जाट सा. किशोरपुरा राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है।उक्त भूमि का नियमन होकर नामान्तकरण सं0 161 दिनांक 08.12.1978 के द्वारा अप्रार्थी को खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मूल वाद मे निर्धारित किया जाना होता है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी ही रिकॉर्डे खातेदार काश्तकार है। रिकॉर्डे खातेदार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति:– अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण अप्रार्थी को स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने पर अपूर्णीय क्षति होना सम्भवं है जिस की पूर्ति किया जाना सम्भंव नही हो सकता। अतः सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी के पक्ष मे साबित होती है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे स्पष्ट है वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थीगण के पिता/पति रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मूलवाद मे निर्धारित किया जाना है इसलिये रिकार्डेड खातेदार को न्यायालय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उमेश चन्द्र अहिश्वरी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जयपुर